क्रम संख्या–43 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 16 मई, 2017 ई0

बैशाख 26, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 186/XXXVI (3)/2017/33(1)/2017

देहरादून, 16 मई, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017"** पर दिनांक 11 मई, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में कमी की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिये विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सकें,

और चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में कमी की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है।

अतः भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 2001) की धारा 4 में शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" प्रतिस्थापित कर दिये जायंगे।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

No. 186/XXXVI(3)/2017/33(1)/2017
Dated Dehradun, May 16, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Contingency Fund Act (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 05 of 2017).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 May, 2017.

THE UTTARAKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2017

(Uttarakhand Act no. 05 of 2017)

An

Act

to provide for the decrease in the credit of the Contingency Fund for the State of Uttarakhand

WHEREAS, Clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides, inter alia, that the Legislature of a State may by law, establish a Contingency Fund for the State;

AND WHEREAS, it has become expedient to provide for the decrease in the credit of the Contingency Fund of the State of Uttarakhand;

THEREFORE, it is hereby enacted by the Uttarakhand Assembly in the Sixty-Eighth year of Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This act may be called the Uttarakhand Contingency Fund (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in section 4

2. In section 4 of The Uttarakhand Contingency Fund Act, 2001 (Act no. 02 of 2001), the word "Seven hundred Fifty" is substituted by the word "Five hundred".

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Additional Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–2) दिनांक 20.01.2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए अग्रदाय स्वभाग की एक आकस्मिकता निधि स्थापित की गई। इससे कार्यपालक सरकार अनवेच्छित व्यय को विधि अनुसार विधान मण्डल का प्राधिकार मिलने तक पूरा कर सकती है।

2– इस निधि से अग्रिम धन ऐसी सेवाओं के केवल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिस पर वार्षिक विनियोग अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत व्यय अपर्याप्त पाया जाय या उस दशा में दिया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष में पूरक या अतिरिक्त नये व्यय या किसी नई सेवा या योजना पर व्यय, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र में अपेक्षित न हो, की आवश्यकता उत्पन्न हो जाये। तद्समय ₹15.00 करोड़ की धनराशि से स्थापित आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं आदि के दृष्टिगत वर्तमान तक ₹750.00 करोड़ किया जा चुका है।

3– वर्तमान समय में राज्य आक़स्मिकता निधि में इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध होने के कारण विभागों में प्राविधानों से इतर व्ययों हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से व्यय की प्रवृत्ति बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर निर्धारित समय पर उक्त धनराशि का समायोजन न किये जाने के कारण महालेखाकार द्वारा ऑडिट आपत्तियां भी व्यक्त की गई हैं। अत्यधिक मात्रा में राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि के आहरण से राज्य का कैशफ्लो तो प्रभावित होता ही है वहीं दूसरी ओर बजटीय आकार में भी वृद्धि हो जाती है। यहां यह भी अवगत कराना है कि विभागों को योजना की आवश्यकता के आधार पर बजट में उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट एवं अतिविशिष्ट परिस्थिति में जिलाधिकारियों को भी ट्रेजरी रूल्स के अधीन कतिपय स्वीकृतियां जारी करने के अधिकार भी हैं। उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत कैशफ्लो की स्थिति को उचित स्वरूप में

रखने एवं प्रतिपूर्ति तथा तद्विषयक महालेखाकार की आपत्तियों से बचाव हेतु राज्य आकस्मिकता निधि की धनराशि ₹750.00 करोड़ से घटाते हुए ₹500.00 करोड़ किये जाने हेतु "उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम(संशोधन) विधेयक, 2017" पारित कराया जाना आवश्यक है।

4– विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधायी/301–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।